

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-------------------------------------|--|--|
| <p>25/12</p> <p>02</p> <p>11/12</p> | <p>आवेदिका सहित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 जादी का पेश कर इस न्यायाल के प्र.क्र.-19/15 क्लेम अशोक सिंह - राजू आदि खा.दि.- 12-11-16 के पालन में जमा शुदा अवार्ड राशि के भुगतान कराये जाने वावत् मय मेमों के पेश किया।</p> <p>आवेदनपत्र की प्रति नायब नाजिर गोहद की ओर भेजकर जमा शुदा अवार्ड राशि के संबंध में प्रतिवेदन तलब हो।</p> <p>प्रकरण विधिवत एम.जे.सी. पंजी में पंजीबद्ध हो।</p> <p>मूल अभिलेख तलब हो।</p> <p>प्रकरण लोक अदालत में प्रतिवेदन/अभिलेख हेतु दिनांक 11-04-17 को पेश हो।</p> <p>पी. सी. जाय सदस्य हि. मोटर दुर्घटना बाबा प्राधिकरण गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)</p> <p>आवेदिका बड़ी बेटटी मिह सहित श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>प्रकरण प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु नियत है।</p> <p>नायब नाजिर गोहद से प्रतिवेदन प्राप्त मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है।</p> <p>बीमा कम्पनी अधिवक्ता श्री जे.पी. राठौर उपस्थित। अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को भुना गया।</p> <p>मूल अभिलेख का अवलोकन किया अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p> <p>11/12/17</p> | <p>सि. 3</p> <p>गोहद</p> <p>11/12/17</p> |

Date of order or proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties Pleadings necessary

आवेदनपत्र पर विचार किया गया प्रकरण में आवेदक को क्षतिपूर्ति हेतु खाति. 12-11-16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 800000/- (छे लाख) रुपये जरिये चैक जमा किया गया जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी क्र-21/16 दिनांक 17-12-16 को नज्दत अनुभाग से नज्दत अनुभाग गोदर भेजा गया जो नज्दत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 20/16 दिनांक 20-12-16 पर जमा होकर शेष है।

मूल अभिलेख के अलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मासिक नेशनल लोक अदालत में इसी न्यायालय में निराकृत प्रकरण दिनांक 12-11-16 को हुआ। आदेश दिनांक 12-11-16 को अलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित करते हुए राशि 800000/- (छे लाख) रुपये आवेदकगण को बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें से आवेदक 01 लगायत 03 जो कि मृत्तिका के पते व पुत्र है। उनके प्रत्येक के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये की राशि 03 माह की सावधी जमा खाते (एफ.डी.आर.) के माध्यम से प्रदान की जावे। तथा 25000/25000 (पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये उन्हें नगर रूप से बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किए जाए, तथा आवेदक क्र- 4 व 5 को वृद्धवस्था को देखते हुए आवेदिका क्र-4 को 50,000/- (पचास हजार) रुपये व आवेदक क्र-5 को शेष 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है।

चूंकि आवेदिका बड़ी बिटरी द्वारा अपनी जमा मुदा राशि के संबंध में पृथक् से अवार्ड राशि प्राप्त किये जाने आवेदनपत्र पेश किया है जो मृत्तिका का पुत्र है। अतः आदेश के पालन में आवेदिका बड़ी बिटरी पति बाबू सिंह निवासी गोदर चौराहा तहसील गोदर जिला मिर्जापुर को 50000/- (पचास हजार) रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान किये जाने का आदेश है। आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड वाउचर तैयार कर नायब जजिर गोदर की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

लोक अदालत के ऑफिस तैयार हो।

मूल अभिलेख क्र-19/15 एलम अशोक सिंह तामर बनारस राज्य आदि खाति. 12-11-16 में आदेश की प्रति संलग्न कर अभिलेखागार मिर्जापुर को पोषित भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार मिर्जापुर भेजा जावे।

(क्रमांक 3412/14)
2905 की 15-15-15-
2905 की 15-15-15-
2905 की 15-15-15-

पी. सी. साय
सदस्य
वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण
गोदर जिला-मिर्जापुर (म.प्र.)
(क्रमांक 3412/14)
2905 की 15-15-15-
2905 की 15-15-15-